हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-2-24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण हाजिर है पैरोकार सरकार उप० है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दि. 25/4/23 का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट पूर्व मे भूमि का सीमाज्ञान नही हुआ है। मौके पर खातेदारान का कब्जा काश्त भी नही है। अत: प्रकरण पत्थरगढी का नही होकर कब्जा प्राप्त करने सम्बंधी है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रकरण में वर्णित भूमि खसरा नं. 1474/1741 एवं 1475 का सीमाज्ञान नही हुआ है। सीमाज्ञान के अभाव मे पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी करने हेतु खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.08 17:42:03 IST
Reason: SelfAttested